<u>दो शासकीय वाहनों का निपटारा</u>

एक मारूति जिप्सी (नंबर MP-04-H 6998/ 1999 माडल) तथा एक टाटा सुमो (नंबर MP-04-BA 0360/ 2006 माडल) को "जैसी है, जिस हालत में है के आधार पर" निपटारे के लिए इच्छुक पार्टियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । उक्त वाहनों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) में सुबह 10.00 बजे से 17.00 के बीच दिनांक 31.05.2016 से 15.06.2016 तक एस.आई.बी. काम्पलेक्स, स्टेट बैंक आफिसर कालोनी के बाजू में, चार इमली भोपाल में किया जा सकता है ।

उक्त वाहनों का न्युनतम मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

1. मारूति जिप्सी : रू.80,000/–
2. टाटा सुमो : रू.80,000/–

प्रत्येक वाहन हेतु पृथक–पृथक अर्पित मूल्य दर्शाती हुई वाहनों की निविदाएं तथा मारूति जिप्सी (नंबर MP-04-H 6998/ 1999 माडल) तथा टाटा सुमो (नंबर MP-04-BA 0360/ 2006 माडल) की बिक्री हेतु निविदा लिखा हुआ पृथक–पृथक कवर संयुक्त निदेशक, एस.आई.बी. काम्पलेक्स, स्टेट बैंक आफिसर कालोनी के बाजू में, चार इमली भोपाल को संबोधित किया जाना है तथा निविदाएं दिनांक 15.06.2016 से 20.06.2016 को 15.00 बजे तक प्राप्त की जाएगी । इस उद्देश्य हेतु निर्मित एक समिति द्वारा निविदाएं दिनांक 21.06.2016 को 12.00 उपर्युक्त परिसर में निविदाकारों या उपस्थित रहने के इच्छुक उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी । उच्चतम बिडर (बोली लगाने वाले को) पूरी राशि वाहन की डिलीवरी (अधिपत्य) दिनांक 23.06.2016 तक बैंक ड्राफ्ट के जरिए जमा करनी है । यह अंतिम बिडर का दायित्व है कि वह वाहन से संबंधित कागजात अपने नाम पर हस्तांतरित करायें व कर आदि चुकाएं जैसा मध्यप्रदेश में लागू हो । मुख्यालय के पास बिना कोई भी कारण दर्शाये किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत/अस्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

उच्चतम बिडर (बोली लगाने वाले व्यक्ति को) उक्त वाहनों की पूर्ण राशि दिनांक 23.06.2016 को 12.00 बजे तक जमा करानी होगी । यदि किसी कारणवश वह उपरोक्त राशि जमा करने में असफल रहता है तो उसकी जमा अर्पित राशि वापिस नही की जायेगी तथा अगले उच्चतम बिडर (बोली लगाने वाले व्यक्ति को) मौका दिया जायेगा ।

इच्छुक पार्टियॉ मुहरबन्द कवर में प्रत्येक वाहन के लिए पृथक–पृथक निविदाएं भेजें तथा खुलने के पूर्व अर्पित राशि के रूप में प्रत्येक वाहन हेतु रू. 8,000/– जमा करें । यह राशि निविदाएं खुलने के बाद प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम बिडर (बोली लगाने वाले व्यक्ति को) को छोड़ कर बाकी सभी को वापिस कर दी जायेगी ।